[भारत के राजपत्र, आसाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 66/2020-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 21 सितंबर, 2020

सा.का.नि._____(अ).- सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), अधिसूचना संख्या 35/2020-केन्द्रीय कर, तारीख 03 अप्रैल, 2020, जो भारत **के राजपत्र,** अ**साधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक** सा.का.नि. 235(अ), तारीख 03 अप्रैल, 2020 **द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-**

उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैरा में, खंड (i) में, निम्नलिखित परंतुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, **अर्थात**:-
"परंतु और भी कि, जहां अनुमोदन पर बिक्री या वापसी के लिए भारत से बाहर भेजे या ले जाये जा रहे माल के संबंध में किसी व्यक्ति के लिए किसी भी समय सीमा, जो मार्च, 2020 के 20वें दिन से अक्टूबर, 2020 के 30वें दिन तक की अवधि के दौरान आता है, को उक्त अधिनियम के खंड 31 के उपखंड (7) के तहत निर्दिष्ट या निर्धारित या अधिसूचित किया गया है, और जहां ऐसी कार्रवाई को पूरा करना या अनुपालन ऐसे समय के भीतर नहीं किया गया है, तो, ऐसी कार्रवाई के पूरा करने की या अनुपालन के लिए समय सीमा अक्टूबर, 2020 के 31वें दिन तक बढ़ा दी जायेगी ।

.

[फा.सं. CBEC-20/06/08/2019-जीएसटी)]

(प्रमोद कुमार)
निदेशक, भारत सरकार

टिप्पण - मूल अधिसूचना **भारत के राजपत्र**, **असाधारण**, **भाग** II, **खंड 3**, **उपखंड (i)** सं. 35/2020-केन्द्रीय कर तारीख 03 अप्रैल, 2020 में संख्यांक सा.का.नि. 235(अ), तारीख 03 अप्रैल, 2020 द्वारा **प्रकाशित किया गया था,** और **भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i)** सं. 65/2020- केन्द्रीय कर, दिनांक 01 सितंबर 2020 में, संख्यांक सा.का.नि. 542(अ), तारीख 01 सितंबर 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था ।